

2025/179

फर्द अहकाम
(नियम 15)

मिर्ची
13.5.2025

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
भागाराम बनाम स्टेट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 134 वर्ष 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
21.03.2025	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 03.04.2025 को पेश हो। ॐ	
03/4/2025	<p>१ कुलाए करिबेन उपखण्ड/PU मारु २२५०२२</p> <p>प्रतिवादी ए। पत्रावली ३० दिनांक ०१.४.२०२५</p> <p>पत्र पेश के</p>	
9.5.2025	<p>१ कुलाए करिबेन उपखण्ड/PU मारु ५५५५</p> <p>प्रतिवादी ए। पत्रावली २२५०२२ के रिपोर्ट</p> <p>पत्र २१५५ दिनांक १३.५.२०२५</p> <p>पत्र पेश के</p>	
18.5.2025	<p>१ कुलाए करिबेन उपखण्ड/PU मारु ५५५५ में</p> <p>शायद-पत्र पेश किया। वदल सुनी गई।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट जारी कर लकील ३१५५ - की रिपोर्ट के आधार पर वाद की डिफेंड किया जाता है। पूर्ण विवरण सहित निरीक्षण अफस से लिखाया जाकर शाहिल कार्टल किया जाके पत्रावली नम्बर से कम की जाकर मास तारीख तामिल जायका दाखिल हुकमर हो।</p>	

